न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/38/2021	2021/297	08–10–2021	24–06–2022

01. श्रीमती सोनू देवी पत्नी श्री विक्रम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बासना उपला तहसील बानसूर जिला अलवर। –अपीलांट

बनाम

01. मु0सूरजबाई पुत्री राधा बेवाह अडीसाल सिंह स्त्री अभय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बासना तहसील बानसूर जिला अलवर। हाल–वासी ग्राम कानपुरा ग्राम पंचायत मण्डावरा तहसील थानागाजी। –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बानसूर दिनांक 07.11.2013 विरासत नामान्तकरण संख्या 255 वाके ग्राम बासनी तहसील बानसूर जिला अलवर।

उपस्थितः–
01–श्री नरसी राम चौधरी –वकील अपीलाण्ट
02–श्री श्योराम सिंह नरूका – वकील रेस्पोडेन्ट

–:निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 07.11.2013 जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत संख्या 255 वाके ग्राम बासना तहसील बानसूर जिला अलवर बेजा तौर पर दर्ज व स्वीकार किया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 564 रकबा 0.13, 628/0.35 है0 का सम्पूर्ण हिस्सा, तथा खसरा न0 630 रकबा 0.18 है0 का 1/16 हिस्सा खसरा न0 567 रकबा 0.06 है0 का 1/6 हिस्सा खसरा न0 538/0.06 है0 का 1/16 हिस्सा वाके ग्राम बासना तहसील बानसूर जिला अलवर राधा बेवाह अडीसाल के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, तथा राधा द्वारा अपनी उपरोक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2005 को पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या–04 पेज संख्या 76 कंम संख्या 375 पर उप पंजीयक बानसूर में पंजीबद्ध बयनामा के आधार पर अपीलाण्ट को बेचान कर दिया और वक्त खरीद से ही अपीलाण्ट उपरोक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त करती चली आ रही है, तथा वर्तमान में भी अपीलाण्ट का कब्जा है और मौंका आराजी पर काबिज काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान में भी अपीलाण्ट का कब्जा है और मौंका पर गेहूं की फसल खडी हुई है। रेस्पोडेन्ट मृतक राधा बेवा अडीसाल की पुत्री है, और विवाहित है। रेस्पोडेन्ट ने एक दावा बाबत निरस्त किये जाने बयनामा दिनाक 23.03.2005 अपीलान्ट के विरूद्व न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश बानसूर में दायर किया गया जिसमें दोनो पक्षकारान को सुनने के पश्चात जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया जो विचाराधीन है और किसी भी अपीलीय न्यायालय द्वारा संशोधित या स्थगित नही किया गया है जो विचाराधीन है। मृतक राधा बेवा अडीसाल खातेदार ने आराजी को अपने जीवनकाल में ही अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया था, इसलिए रेस्पोडेन्ट के विवादित आराजी में कोई अधिकार शेष नही रहे तथा न ही विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कोई कब्जा है। राजस्व कर्मचारियो ने बगैर अधिकार व खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के विवादित नामान्तकरण विरासत संख्या 255 दर्ज किया है, जो बगैर अधिकार के है। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार करने से पूर्व आराजी के कब्जा के सम्बध में कोई जॉच नही की और रैस्पोडेन्ट ने धोखा देकर यह जानते हुए कि रेस्पोडेन्ट की माता मृतक राधा अपनी खातेदारी की आराजी को अपने जीवन काल में ही

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

बेचान कर चुकी है। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय में दावा भी दायर कर रखा है। इन सब तथ्यों छुपाते हुए अधिनस्थ न्यायालय को धोखा देकर नामान्तकरण दर्ज कराया है जो आज्ञा विधि सम्मत नहीं है और खिलाफ कानून व खिलाफ मौंका है। चूंकि नामान्तकरण दौराने दावा एंव अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी होने के दौरान दर्ज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा उपरोक्त आज्ञा पारित करने से पूर्व नियमानुसार विधिक प्रक्रिया का पालना नहीं किया गया। अपीलाण्ट विवादित आराजी की खरीदशुदा मालिक है। निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया जो प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्ट के गांव के अन्य लोगों से यह सुना कि विवादित आराजी का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम स्वीकार करा लिया है, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 05.01.2014 को तहसील कार्यालय से जानकारी प्राप्त की तथा दिनांक 06 जनवरी 2014 को नकल हेतु आवेदन किया गया जो उसी दिवस प्राप्त की जाकर कानूनी सलाह लेकर बिना देरी के अपील दिनांक 20.01.2014 को पेश की गई। दिनांक 07.11.2013 से दिनांक 20.01.2014 तक का जो समय व्यतीत हुआ वह अपीलाण्ट को आज्ञा की जानकारी नहीं होने के कारण व्यतीत हुआ है जो नेकनियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मयाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2013 को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा विरासत का नामान्तकरण संख्या 255 वाके ग्राम वासना तहसील बानसूर विधिवत जांच कर विधिक वारिस रेस्पोडेन्ट सूरज बाई के नाम दर्ज कर दिनांक 07.11.2013 को स्वीकार किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा यह भी निवेदन किया है, कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था, इस हेतु अपीलान्ट को न्यायालय हाजा में अपील दायर करने हेतु इजाजत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. अपील के साथ पेश करना चाहिए था, विना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के अपील चलने योग्य नही है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे। कथन की पुष्टि में आर.आर.डी. 1995 पेज–120, आर.आर.डी. 1985 पेज–170, आर.आर.डी. 1992 पेज–364, आर.आर.डी. 1997 पेज–349, की नजीरें प्रस्तुत की गई है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट द्वारा उठाई गई कानूनी बिन्दू धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना के अभाव पर विचार किया जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अपीलान्ट तहत अदालत में पक्षकार नही थे, न्यायालय हाजा में अपील इजाजत बावत 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पेश करना चाहिए था, जो अपीलान्ट द्वारा पेश नही किया है। अतः 96 सी.पी.सी के अभाव में अपील के गुणदोष पर निर्णय किये बिना धारा 96 सी.पी.सी के अभाव में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार बानसूर का आदेश दिनॉक 07-11-2013 नामान्तकरण संख्या 255 ग्राम वासना तहसील बानसूर यथावत रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.6.2022

(अखिलेश मिश्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर (राज.)
प्रथम अलवर